न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 90/2021
निर्णय दिनांक : 29/3/22

1. श्री नारायण
2. गोपाल
3. हरसहाय उर्फ छोटूराम
4. सीताराम

समस्त पुत्रान् स्व गोविन्दराम यादव, जाति अहिर, निवासी– ग्राम रामचन्द्रपुरा, तह० सांगानेर जिला जयपुर।

5. कैलाश चन्द
6. अनिल कुमार

समस्त पुत्रान्- स्व गणेश यादव, जाति अहिर, निवासी– ग्राम रामचन्द्रपुरा, तह० सांगानेर जिला जयपुर।

7. कन्हैया लाल
8. मदन

समस्त पुत्रान् स्व माणंकचन्द यादव, जाति अहिर, हाल निवासी बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

9. रामप्यारी देवी पत्नी स्व माणंकचन्द यादव, जाति अहिर, हाल निवासी बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. अमरदीप कपुरसिंह पुत्र कपुरसिंह जाति जाट, निवासी टी–11 ए, विन्डसर कोर्ट डीएलएफ फेज 4 गैलेरिया, गुडगांव, हरियाणा
2. रितु पुत्री गोपालराम, जाति जाट निवासी 273 गुरू जम्भे वर नगर गान्धी पथ, क्वींस रोड, जयपुर राजस्थान।
3. औमप्रकाश पुत्र श्रीकिशन
4. कैलाश पुत्र श्रीकिशन
5. बाबूलाल पुत्र श्रीकिशन
6. श्यामलाल पुत्र श्रीकिशन
7. सीताराम पुत्र श्रीकिशन
8. सूरजनारायण पुत्र श्रीकिशन

समस्त जाति हरियाणा ब्राहाण निवासी रंगपूरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

9. चन्दी देवी पत्नी स्व लल्लू राम
10. बबली देवी पुत्री स्व लल्लू राम
11. मूकेश पुत्र स्व लल्लू राम
12. संतोश देवी पूत्री स्व लल्लू राम
13. मांगी लाल पुत्र स्व लल्लू राम
14. मनभर देवी पुत्र स्व लल्लू राम

समस्त जाति अहिर निवासी ग्राम ग्राम रामचन्द्रपुरा, तह० सांगानेर जिला जयपुर।

15. बाबू लाल पूत्र मोहरी लाल
16. रमेश पूत्र मोहरी लाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:04:57 IST
Reason: SelfAttested

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय

2022. 18:43

समस्त जाति अहिर निवासी ग्राम रामचन्द्रपुरा, तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

9. योगराज पुत्र सूरज नारायण
8. शिवकुमार पुत्र सूरज नारायण
9. गोरीशंकर पुत्र सूरज नारायण
10. चन्द्रप्रकाश अग्रोया पुत्र बंशीधर अग्रोय, जाति हरियाणा बाहाण निवासी 320 गोपाल का रास्ता जयपुर।
11. जगदीश नारायण दतक पुत्र कल्याण जाति हरियाणा बाहाण ग्राम रामचन्द्रपुरा, तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
12. मै उदयपुर मिनरल डवलपमैन्ट सिण्डीकेट लि0 जयपुर द्वारा मैनेजिंग डारेक्टर राजेन्द्र कुमार पुत्र हरिशचन्द्र, हरिशचन्द्र पुत्र सोहन लाल गोलछा, सुरेन्द्रकूमार पुत्र हरीशचन्द्र गोलेछा।
13. विक्रमादित्यि ट्रस्ट जयपुर द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी हरीशचन्द्र गोलेछा पुत्र सोहन लाल गोलछा, उशा पत्नी सूरेन्द्र कूमार गोलेछा, आशा पत्नि राजेन्द्र कूमार गोलेछा
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थन पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी के आधार पर पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 26, 27, 28, 29, 30, 40, 41, 42 कुल किता 8 कुल रकबा 3.1800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 38, 39, 43 कुल किता 3 कुल रकबा 0.3600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 44, 45, 50/370, 60/369 कुल किता 4 कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर वाके ग्राम रामचन्द्रपुरा पटवार हल्का नृसिहपुरा, भू.अ.नि.क्षे. भांखरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित है। जिसका खातेदार प्रार्थी है। दिनांक 21.06.2019 को श्रीमान उपतहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर के आदेश क्रमांक एल.आर./19/401 दिनांक 18.06.2019 की पालना में खसरा नम्बर 26, 27, 28, 29, 30, 40, 41, 42 कुल किता 8 कुल रकबा 3.1800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 38, 39, 43 कुल किता 3 कुल रकबा 0.3600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 44, 45, 50/370, 60/369 कुल किता 4 कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर वाके ग्राम रामचन्द्रपुरा पटवार हल्का नृसिहपुरा, भू.अ.नि.क्षे. भांखरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर की सीमाज्ञान की गई और प्रार्थी की सीमाओं को जरिये गुरतकिल चिन्हों के द्वारा सीमाकंन किया गया लेकिन प्राथ्री की उक्त भूमि के पडोंसी खातेदार काश्तकार द्वारा प्रार्थी की उक्त में जबरन मजाहमत करने के कारण तथा प्रार्थी की अपनी सीमाओं को महदूद करने की गुरेज से पत्थरगढी करवाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। इसलिए प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि का नियमानुसार पत्थरगढी किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 26, 27, 28, 29, 30, 40, 41, 42 कुल किता 8 कुल रकबा 3.1800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 38, 39, 43 कुल किता 3 कुल रकबा 0.3600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 44, 45, 50/370, 60/369 कुल किता 4 कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर वाके ग्राम रामचन्द्रपुरा पटवार हल्का नृसिहपुरा, भू.अ.नि.क्षे. भांखरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर की पत्थरगढी जरिये पुलिस इमदाद के करवाई जाकर आदेश पारित करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक .2021 को अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। दिनांक 01.02.2022 को प्रार्थीगण उपस्थित एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। दिनांक 22.03.2022 को पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:04:57 IST
Reason: SelfAttested

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

26, 2022, 18:43

उनके अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 से 23 की ओर से बावजूद रजिस्टर नोटिस तामिल, उनकी ओर से कोई उपस्थितनही हाने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बन्द किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के जवाब प्रार्थना का जवाब बन्द किया जाकर बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया तथा अंत मे कहा कि उप–तहसील बगरू प्राप्त सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार उभयपक्षकारान की उपस्थित में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाया जाने हेतु निवेदन किया। हमने बहस प्रार्थीगण पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में ग्राम रामचन्द्रपुरा पटवार हल्का नृसिहपुरा, भू. नि.क्षे. भांखरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 26, 27, 28, 29, 30, 40, 41, 42 कुल किता 8 कुल रकबा 3.1800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 38, 39, 43 कुल किता 3 कुल रकबा 0.3600 हैक्टेयर का उप–तहसील बगरू के सीमाज्ञान फर्द मौका रिपोर्ट आदेश दिनांक 21.06.2019 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 29/3/22 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:04:57 IST
Reason: SelfAttested

2022, 18:43